विवरण-II

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 गुजरात राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. बरदा
2. भावचा, बामचा
3. भारवाड (अलेच बारदा तथा गीर के जंगलों के नेसेज में)
4. भील, भील, गारसिया, धोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गारसिया, मेवासी भील, रावल भील, ताडवी भील भागालिया, पावारा, वासवा, वासवे
5. चारण (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलों के नेसेज में)
6. चौधरी (सूरत तथा वलसाद जिला)
7. कोधरा
8. ढांका, ताडवी, तेतारिया, कात्वी
9. धोदिया
10. दुबला, तालविया, हालपती
11. गामित, गामता, गावित, मावची, पाडवी
12. गोंड, राजगोंड
13. काथोदी, काठोरी, ढोर, काथोदी, डोरा काठोदी, सोन का थोदी, सोन काथोदी
14. कोकना, कोकनी, कुकना
15. कोली (कच्छ जिला में)
16. कोली ढोर, तीकरे, कोली, कोलचा, कोलथा
17. कुंबी (डांग्स जिला में)
18. नाइकडा, कोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, बोता नायक, नाना नायक
19. पाधार
20. पारधी (कच्छ जिला में)
21. पारधी, आदवी चिंचेर, पान्से पादधी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)
22. पाटेलिया
23. पेमला
24. राबड़ी (अलेच, बारादा तथा गीर के जंगलों में नेसेज में)
25. राठवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट तथा सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. वाधरी (कच्छ जिलों में)
28. वारली
29. विटोला, कोटवालिया, बरोदिया

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों के लिए विशेष कार्य योजना

1392. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों में विशेष कार्य योजना के अंतर्गत आवश्यक सामग्री प्रदान करने और इन छात्रावासों की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 1994-95 और 1996 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस राशि में से कितनी राशि छात्रावासों और आश्रम भवनों की मरम्मत और उनमें आवश्यक सामग्री प्रदान करने हेतु व्यय की गई; और

(घ) इस विशेष कार्य योजना के बावजूद जिलेवार, ऐसे छात्रावासों और आश्रमों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें आवश्यक सामग्री प्रदान नहीं की गई अथवा उनकी मरम्मत नहीं की गई तथा इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) यह मंत्रालय मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को होस्टलों में आवश्यक सामग्री प्रदान करने या होस्टलों की मरम्मत के लिए किसी विशेष कार्य योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं देता है। तथापि, यह मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल, लड़कियों के लिए होस्टल तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान स्वीकृत करने की योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र

1393. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को केवल विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जा रहा है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के आरक्षण संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(घ) क्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त निगम के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों तथा विकलांग व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों के अनुसरण में केवल विकलांग व्यक्ति ही उनके लिए पहचान किए गए तथा आरक्षित पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" तथा "घ" पदों में 1100 पदों की पहचान की गई है जिन पर विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

(ग) कल्याण मंत्रालय मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या को भी दर्शाते हुए समूह ग तथा समूह ख पदों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी अर्धवार्षिक रिपोर्ट देने पर बल देता रहा है।

(घ) दिनांक 24 जनवरी, 1997 को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम निगमित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बसे विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन कर रहा है:—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता,

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता,

(3) सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता,

(4) कुष्ठ रोग युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता,

(5) जिला पुनर्वास केन्द्र।

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिशत में कमी

1394. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कम होता जा रहा है;

(ख) 1 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कितना था; और

(ग) मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियां देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (ग) एक विवरण, विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

विवरण

आम तौर पर केन्द्र सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती के संबंध में सरकार की नीति पूर्ण रूप से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होती है। भर्ती नियमों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि भर्ती समान अवसर प्रदान करते हुए योग्यता के आधार पर चयन पर आधारित होती है ताकि जनसंख्या के किसी भी वर्ग के विरुद्ध भेदभाव न हो सके। चूंकि भर्तियां जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर नहीं होती हैं, इसलिए धर्मवार भर्ती से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

लोक सेवाओं में भर्ती भारत के संविधान के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होती है जो राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय में भर्ती अथवा रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर को सुनिश्चित [illegible]